(490)

FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महादय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक / 14—15 निगरानी R-489-II-15

कुँवर सिंह कुशवाह ए. 9-3-15 को
द्वारा आज प्रस्तुत
for [signature] 9-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामचन्द्र मीणा (बाला)पिता भगवान जी मीणा
आयु 42 वर्ष , व्यवसाय होटल निवासी भरत
पथ खाचरोद तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
म0प्र0 ....प्रार्थी

विरुद्ध

तहसीलदार महोदय तहसील खाचरौद
श्रीमति मीनापाल ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खाचरौद के **प्रकरण** कमांक 4 अपील 14—15 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 से रुष्ट होकर म0प्र0भू0रा0संहिता की धारा 50 के तहत : :—

माननीय महोदय ,

प्रार्थी कि और से निम्न निगरानी सेवा में सादर प्रस्तुत है कि ::—

1. यह कि , प्रार्थी परिवार का कर्ता होकर 1994 से नगर पालिका सीमा के तहत कस्बा खाचरौद के आराजी सर्वे नंबर 880 रकबा 0.418 हे0 में से कुछ भाग पर गुमटी रखकर निर्वाद रुप से अपना व्यवसाय होटल संचालन कर रहा है। व इस संबंध में नगर पालिका को प्रतिदिन किराया अदा कर रहा है। व प्रार्थी व उसके परिवार की आजीविका का साधन होटल व्यवसाय से प्राप्त आय है।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर 9/3/15

2. यह कि , न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील खाचरौद द्वारा प्रकरण कमांक 2 अ 68 / 13—14 कायम किया जाकर दिनांक 23.12.2014 को प्रार्थी व रहीश खान पिता रसीदर खां , अब्दुल शहीद पिता अब्दुल हमीद , श्रीमल पिता उछबलाल , शाहीद खान पिता शफी मोहम्मद , सोहल खान पिता अकील खान , अमलद खान , सलीम मंसुरी पिता खुरशीद , मेहरखान पिता मोहम्मद खान, श्रीमान बेदी (महाकाल) पिता खिलानसिंह के विरुद्ध आनन्दीलाल , लक्ष्मीनारायण पुत्र भेरुलाल धाकड , ललीत कुमार पिता सोहनलाल , मनीष पिता सुरेन्द्र कुमार भटेवरा के प्रकरण में दो — दो हजार रुपये अर्थदण्ड

कुँवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 9/3/2015

XXIX(a)-BR(H)-11

490

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-489-दो/15 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	